

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

- **राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड योजना (सोवरिन गोल्ड बॉण्ड योजना, एसजीबी) क्या है? इसे कौन जारी करता है?**

ये बॉण्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका अंकित मूल्य स्वर्ण ग्राम में होता है.स्वर्ण अपने पास रखने का यह एक वैकल्पिक माध्यम है.निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद रूप में अदा करना होता है .बॉण्ड की मीयाद समाप्त हो जाने पर नकद राशि प्राप्त होगी.यह बॉण्ड भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक जारी करता है.

- **में भौतिक स्वर्ण के बजाय राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड क्यों खरीदूं? इसके क्या फायदे हैं?**

इसे खरीदने से निवेशक ने स्वर्ण की जितनी मात्रा के लिए पैसे दिए हैं उतनी मात्रा संरक्षित हो जाती है और बॉण्ड की मीयाद पूरी हो जाने पर या उससे पहले बॉण्ड जमा कर देने पर उसे उस समय बाज़ार में चल रही कीमत मिलती है.अतः स्वर्ण को भौतिक रूप में अपने पास रखने के बजाय राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के रूप में रखना बेहतर विकल्प है.इस प्रकार जोखिम से बचने के साथ-साथ इसे सुरक्षित रखने की लागत नहीं है.निवेशकों को इस बात का आश्वासन मिलता है कि बॉण्ड की अवधि समाप्ति पर उन्हें स्वर्ण का बाज़ार भाव मिलेगा और साथ ही आवधिक ब्याज भी.स्वर्ण के आभूषणों पर कारीगरी शुल्क देना पड़ता है और उसकी शुद्धता भी देखनी पड़ती है.राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है.यह बॉण्ड रिज़र्व की बहियों अथवा डीमैट रूप में दर्ज रहते हैं, अतः इनके गुम होने की गुंजाइश नहीं रहती.

- **क्या इन बॉण्डों में निवेश करने में कोई जोखिम है?**

यदि स्वर्ण का बाज़ार भाव कम हो जाता है तो पूंजीगत हानि होने का जोखिम हो सकता है.लेकिन स्वर्ण की जितनी मात्रा के लिए निवेशक ने पैसे दिए हैं उस मात्रा में कोई कमी नहीं आती.

- **यह बॉण्ड कौन खरीद सकता है?**

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई भी निवासी भारतीय इसमें निवेश कर सकता है.इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय, धर्मादाय संस्थाएं आदि भी शामिल हैं.

- **क्या ये संयुक्त नाम से खरीदे जा सकते हैं?**

हां, खरीदे जा सकते हैं.

- **क्या नाबालिग इसमें निवेश कर सकता है?**

हां, किंतु उसकी ओर से उसके अभिभावक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा.

- निवेशकों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त हो सकते हैं?

[आवेदन पत्र](#) जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ चुनिंदा डाकघरों/ एजेंटों/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे. रिज़र्व बैंक की वेबसाइट से भी यह फार्म डाउनलोड किया जा सकता है. बैंक ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने की सुविधा भी दे सकते हैं.

- इसके लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड क्या हैं?

भौतिक रूप से सोना खरीदने के लिए जो केवाईसी मानदंड हैं वही मानदंड इसके लिए भी लागू होंगे. पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन या टैन/ पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज़ की जरूरत होगी. जारीकर्ता बैंक/ चुनिंदा डाकघर/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड/ एजेंट केवाईसी प्रक्रिया पूरी करेंगे.

- निवेश की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?

बॉण्ड एक ग्राम स्वर्ण के मूल्यवर्ग में तथा उसके गुणजों में होता है. निवेश की न्यूनतम सीमा एक ग्राम तथा अधिकतम 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (अप्रैल – मार्च) है. यदि संयुक्त खरीद है तो यह सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी.

- क्या मैं परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम 500 ग्राम खरीद सकती/ सकता हूँ?

हां, परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम बॉण्ड खरीदे जा सकते हैं बशर्ते वे प्रश्न क्रमांक 4 में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.

- क्या मैं प्रत्येक वर्ष 500 ग्राम मूल्य के बॉण्ड खरीद सकती/ सकता हूँ?

हां. कोई भी व्यक्ति 500 ग्राम मूल्य के स्वर्ण बॉण्ड प्रत्येक वर्ष खरीद सकता है. यह सीमा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए है.

- यदि मैं शेयर बाज़ार से इस बॉण्ड की खरीद करूं तो क्या 500 ग्राम स्वर्ण की सीमा लागू होगी?

शेयर बाज़ार से बॉण्ड खरीदने पर भी वित्तीय वर्ष में 500 ग्राम की सीमा लागू होगी.

- ब्याज दर क्या है और ब्याज की राशि किस प्रकार अदा की जाएगी?

बॉण्ड में निवेश की प्रारंभिक राशि पर 2.75 प्रतिशत (नियत दर) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा. ब्याज की राशि हर छः महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी. अंतिम ब्याज राशि मीयाद पूरी हो जाने पर मूलराशि के साथ अदा की जाएगी.

- **राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड बेचने के लिए किन एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है?**

ये बॉण्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ सीएचसीआईएल कार्यालयों/ चुनिंदा डाकघरों से सीधे/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड या उनके एजेंटों के माध्यम से बेचे जाएंगे.

- **यदि मैं आवेदन करूं तो क्या मुझे निश्चित रूप से बॉण्ड आबंटित हो जाएंगे?**

यदि ग्राहक पात्रता मानदंड पूरा करता है, पहचान के लिए वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है और आवेदन राशि समय पर जमा करता है तो उसे बॉण्ड आबंटित किए जाएंगे.

- **ग्राहकों को धारिता प्रमाणपत्र कब जारी किए जाएंगे ?**

**राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड** जारी किए जाने की तारीख को ग्राहक को धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. धारिता प्रमाणपत्र जारीकर्ता बैंक/ एसएचसीआईएल कार्यालय/ डाकघर/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड/ एजेंट से प्राप्त किया जा सकता है. यदि आवेदन पत्र में ई-मेल पता दिया गया है तो धारिता प्रमाणपत्र सीधे रिज़र्व बैंक से भी ई-मेल से प्राप्त किया जा सकता है.

- **क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती/ सकता हूं?**

हां. ग्राहक सूची में दिए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

- **बॉण्ड का मूल्य क्या होगा?**

बॉण्ड भारतीय रुपये में होगा और इसका मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा. निर्गम मूल्य की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाएगी.

- **क्या रिज़र्व बैंक स्वर्ण के लिए लागू दर की घोषणा प्रतिदिन करेगा?**

निर्गमों की तारीख से दो दिन पहले संबंधित श्रृंखला का स्वर्ण दर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

- **मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे क्या मिलेगा?**

बॉण्ड की मीयाद पूरी हो जाने पर जितने ग्राम के स्वर्ण लिए भारतीय रुपये में आपने निवेश किया था उतनी मात्रा के लिए प्रचलित बाजार भाव पर आपको चुकौती राशि प्राप्त होगी. चुकौती मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत बंद मूल्य पर आधारित होगा.

- **मीयाद पूरी हो जाने पर मुझे राशि किस तरह प्राप्त होगी?**

ब्याज और बॉण्ड की चुकौती राशि, दोनों ही ग्राहक के उस बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्ड खरीदते समय दी थी.

- **मीयाद पूरी हो जाने पर चुकौती की प्रक्रिया क्या होगी ?**

- बॉण्ड की मीयाद समाप्त होने से एक महीना पहले निवेशक को बॉण्ड की मीयाद पूरी होने की सूचना दे दी जाएगी.

- मीयाद पूरी होने की तारीख पर बॉण्ड की परिपक्वता राशि रिकार्ड में दर्ज बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

- यदि बैंक खाते, ई-मेल पते आदि में कोई परिवर्तन है तो निवेशक को चाहिए कि वह उसकी सूचना बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर/ स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत दे.

- **क्या मैं इस बॉण्ड को किसी भी समय भुना सकता हूँ? क्या समय से पहले इसके परिशोधन (रिडेंप्शन) की अनुमति है ?**

यद्यपि बॉण्ड की अवधि 8 वर्ष है, पाँच वर्ष के पश्चात कूपन भुगतान की तारीख से इस बॉण्ड का समय पूर्व नकदीकरण/ परिशोधन किया जा सकता है. इसे एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है. यदि इसे डीमैट स्वरूप में रखा गया है तो इसे किसी अन्य पात्र निवेशक को भी हस्तांतरित किया जा सकता है.

- **यदि मुझे इस बॉण्ड में मेरा निवेश बंद करना हो तो क्या करना चाहिए?**

यदि मीयाद समाप्त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर/ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड/ एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से तीस दिन पहले संपर्क करे. मीयाद समाप्त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम से कम एक दिन पहले संबंधित बैंक/ डाकघर/ स्टॉक एक्सचेंज से संपर्क किया हो. बॉण्ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉण्ड खरीदते समय दी थी.

- **क्या मैं किसी अवसर पर रिश्तेदार या मित्र को यह बॉण्ड उपहार स्वरूप दे सकती/ सकता हूँ?**

यह बॉण्ड रिश्तेदार/ मित्र/ किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे [\(प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई\)](#) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. बॉण्ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्त होने से पहले किया जा सकेगा. यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध रहता है.

- क्या मैं इन प्रतिभूतियों का उपयोग ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में कर सकता हूँ?

हां, इन प्रतिभूतियों का उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए जमानत के रूप में किया जा सकता है. ऋण और मूल्य का अनुपात वही होगा जो सामान्य स्वर्ण ऋण के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशानुसार होता है.

- क्या ब्याज तथा पूंजीगत लाभ पर कर देय होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अनुसार इस बॉण्ड के ब्याज पर आयकर लागू होगा. पूंजीगत लाभ के मामले में वही नियम लागू होगा जो भौतिक रूप में स्वर्ण रखने पर लागू होता है. एक व्यक्ति द्वारा एसजीबी के रिडेम्प्शन करते समय के मामले में उसे पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है. किसी व्यक्ति द्वारा बांड के अंतरण करते समय उत्पन्न दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के संदर्भ में इंडक्सेशन लाभ दिया जाएगा.

- क्या इस बॉण्ड के मामले में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) होगी?

इस बॉण्ड पर टीडीएस लागू नहीं है. तथापि बॉण्ड धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर संबंधी कानून का पालन करे.

- बांड के जारी होने के बाद निवेशकों को अन्य ग्राहक सेवा सेवाएं कौन मुहैया कराएगा ?

जारीकर्ता बैंक/ डाकघर/ एजेंट जिसके माध्यम से प्रतिभूति खरीदी गई है, वह अन्य ग्राहक सेवाएं जैसे कि पते में परिवर्तन, समय से पूर्व भुनाना, नामांकन आदि सुविधाएं प्रदान करेगा.

- राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड में निवेश करने के लिए भुगतान के कौन-कौन से विकल्प हैं ?

भुगतान नकदी/चेक/डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण से कर सकते हैं.

- क्या इन निवेशकों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है ?

हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है. [आवेदन फार्म](#) के साथ नामांकन फार्म उपलब्ध है.

- क्या संयुक्त धारकों के मामलों में 500 ग्राम की अधिकतम सीमा लागू होगी?

संयुक्त धारकों के मामले में संबंधित आवेदन के प्रथम आवेदक के लिए अधिकतम सीमा लागू होगी.

- क्या बैंक जैसी संस्थाओं को राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति है ?

बैंकों को राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्डों में निवेश करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है . ये निवेश एसएलआर के लिए

पात्र होंगे.

- क्या मुझे बांड डिमैट फार्म में मिल सकता है ?

बाँण्डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है.

- क्या मैं इन बांडों का ट्रेड कर सकता हूँ ?

भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अधिसूचित करने की तिथि से स्टॉक एक्सचेंजों पर इन बांडों का ट्रेड किया जा सकता है.सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन बाँण्डों को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है.

- पुट ऑप्शन का उपयोग करते समय क्या इन बाँण्डों की आंशिक चुकौती हो सकती है ?

हां, धारिता के कुछ अंश को एक ग्राम के गुणजों में भुनाया जा सकता है.